न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 288/2019
निर्णय दिनांकः 13.01.2020

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
2. रामसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह
3. माधो सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह
4. रसाल कंवर पत्नि सुरजन सिंह
5. जगदीश सिंह पुत्र सुरजन सिंह
6. हनुमान सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह
7. प्रेम कंवर पत्नि श्री जोरावर सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीः ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. विशन सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
2. भरत सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह (मृतक दौराने दावा)
   - 2/1 भंवर बाई पत्नि स्व. श्री भरत सिंह
   - 2/2 शिवराज सिंह पुत्र स्व. श्री भरत सिंह
   - 2/3 इन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भरत सिंह
   - 2/4 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भरत सिंह
   - 2/5 मोती सिंह पुत्र स्व. श्री भरत सिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
   - 2/6 सुमन कंवर पुत्री स्व. श्री भरत सिंह, जाति राजपूत, निवासीः सोडाला, जयपुर।
3. महावीर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासीः मकान नंबर 4 कृष्णा पुरी राकडी, सोडाला, जयपुर।
4. जयराज सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह
5. उमराव कंवर पत्नि स्व. श्री रूप सिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासीः ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
7. सुमन कंवर पत्नि स्व. मोहन सिंह पुत्रवधू स्व. श्री रूप सिंह
8. भवानी सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह पौत्र स्व. श्री रूप सिंह
9. रवीना कंवर पुत्री स्व. मोहन सिंह पोत्री स्व. श्री रूप सिंह

   अप्रार्थी संख्या 8 व 9 जरिये संरक्षिका माता सुमन समस्त निवासीः ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद संख्या 297/2016 उनवानी विशन सिंह बनाम महावीर सिंह व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के वाद संख्या 297/2016 बउनवानी विशन सिंह बनाम महावीर सिंह व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नंबर 72, 73, 74, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 110/903, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 129/46, 130/945, 131, 132, 133, 134, 135 एवं 136 कुल किता 28 कुल रकबा 13.10 हैक्टेयर वाके ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि के वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक खसरा नंबर 8, 12, 14 एवं 15 थे। उक्त भूमि के 1/2 भाग पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्व हकअधिकारी गणपत सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व काबिज काश्त थे। उनके स्वर्गवास के बाद अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी सहमति से बंटवारा करके काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार पक्षकारों के पूर्व हकअधिकारी गणपत सिंह जी के स्वर्गवास के बाद सहखातेदार हो जाते है। पक्षकार संयुक्त परिवार में रहते थे। गुलाब सिंह, सुरजन सिंह व रूप सिंड बडे थे तथा कर्ता खानदान एवं चालाक किस्म के व्यक्ति थे। वादीगण की अज्ञानता एवं भोलेपन का फायदा उठाकर राज कर्मचारियो से साज करके, वादगस्त आराजी का नामान्तकरण सन् 1966 में बहिस्सा बराबर–बराबर अपने नाम तस्दीक करवा लिया जिसका उनको कोई वैधानिक अधिकार नहीं था जिसका आभास वादीगण को नहीं हो सका। वादीगण भी गणपत सिंह के वारिस है जिनको नजरअंदाज करके प्रतिवादीगण के पूर्व हक अधिकारियो ने जो जमीन गलत तरीके से अपने नाम लगायी है उससे हमारे हिस्से की भूमि पर न तो हम वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होते है और न ही प्रतिवादीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है जबकि वादग्रस्त आराजी गुलाब सिंह, सुरजन सिंह, रूप सिंह, विशन सिंह, भरत सिंह के बहिस्सा बराबर–बराबर लगनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जबकि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण भी प्रतिवादीगण के साथ अपने पिता गणपतसिंह जी के समय से ही पिछले 61 सालों से काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य दिनांक 11.07.2000 को सहमति पत्र तहरीर व तकमील हुआ है जिससे प्रतिवादीगण मुकर नहीं सकते है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजी पर पिछले 61 वर्षो से बिना किसी बाधा एवं हस्तक्षेप के शांतिपूर्वक काबिज, काश्त चले आ रहे है इसलिये वादीगण जरिये एडवर्स पजेशन स्वतः ही वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हो जाते है। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण अन्य व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आये एवं भूमि विक्रय हेतु दिखाने लगे। वादीगण ने जब मना किया तो प्रतिवादीगण झगडे पर आमादा हो गय एवं आराजीयात को विक्रय करने की धमकी दी। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 72, 73, 74, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 110/903, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 129/46, 130/945, 131, 132, 133, 134, 135 एवं 136

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

Scanned by CamScanner

कुल किता 28 कुल रकबा 13.10 हैक्टेयर वाके ग्राम ताजखां का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम लोपित कर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 को 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी/मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 27.06.2019 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि विवादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है। भूमि पृथक से औंकार सिंह पुत्र भीमसिंह की है एवं दिनांक 27.12.1966 के मुकदमा संख्या 343/1966 दावा इस्तकरारक व स्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय डिक्री जो 53 वर्ष एवं नामान्तकरण संख्या 24 जो कि 52 वर्ष पुराना दस्तावेज है, की सत्यता से पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर.डी. 1996 पेज 288, आर.आर.डी. 1997 पेज 90, आर.आर.डी. 1987 पेज 135 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् साक्ष्य सबूत के आधार पर सही निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.2019 के माध्यम से स्वीकार कर वादीगण को खातेदारी प्रदान की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है उक्त तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब दावा के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान को स्वीकार करते हुये गुलाब सिंह, सुरजन सिंह, रूप सिंह, बिशन सिंह व भरत सिंह पांचो के सगे भाई होने व गणपत सिंह के पुत्र होने की पुष्टि की गई है। विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में पूर्व में सन् 1966 में प्रस्तुत वाद पत्र गुमान सिंह बनाम ओकार सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर दावा संख्या 343/1966 प्रदर्श–7 को देखने से स्पष्ट है कि उक्त वाद पत्र के शीर्षक में वादीगण गुलाब सिंह, सुरजन सिंह व

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

Scanned by CamScanner

रूप सिंह ने अपनी उम्र अंकित नहीं की है, मात्र प्रतिवादी औंकार सिंह की उम्र अंकित की गई है। उक्त वाद पत्र में वादीगण द्वारा कब्जे के आधार पर औंकार सिंह पुत्र भीम सिंह से अनुतोष चाहा गया है। उक्त वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में यह कथन अंकित किये गये है कि उक्त आराजी भूमि गत 27 वर्षो से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त तथ्य वादपत्र के पैरा संख्या 6, 7 व 9 में भी इसी प्रकार विगत 27 वर्षो से भूमि पर काश्त किये जाने के तथ्य वर्णित किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श 5 व 6 मतदाता सूची वर्ष 2004 के अनुसार रूप सिंह की उम्र 64 वर्ष अंकित की गई है एवं पूर्ववत दावा सन् 1966 में प्रस्तुत किया गया था अर्थात सन् 1966 में रूप सिंह की उम्र 26 वर्ष होती है एवं सुरजन सिंह व गुलाब सिंह रूप सिंह से बढे होने से इनकी उम्र क्रमशः 28 वर्ष एवं 30 वर्ष होगी एवं भरत सिंह की उम्र 1966 में 16 वर्ष व बिशन सिंह की उम्र 14 वर्ष अर्थात तद्समय बिशन सिंह व भरत सिंह नाबालिग थे। इस प्रकार वर्ष 1966 में दावा दायरी के समय रूप सिंह वगैराह का कब्जा 27 वर्ष पुराना नहीं हो सकता क्योंकि वर्ष 1966 में रूप सिंह की उम्र 26 वर्ष होती है जिससे स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जन्म लेने से पूर्व ही भूमि पर किस प्रकार काबिज हो सकता है। उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व हक अधिकारी गणपत सिंह का कब्जा था। इसलिये उक्त भूमि की खातेदारी गणपत सिंह के नाम होनी चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में हुये सहमति पत्र दिनांक 11.07.2000 को देखने से भी स्पष्ट है कि उक्त सहमति पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात पर पांचो भाईयों का कब्जा बहिस्सा बराबर माना है एवं सभी ने उक्त सहमति पत्र पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर अपने हिस्से अनुरूप मौके पर काबिज होने के तथ्य भी वर्णित किये है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के वास्तविक हक अधिकारी गणपत सिंह पाये जाते है। इस कारण उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में गुलाब सिंह, रूप सिंह, सुरजन सिंह, बिशन सिंह, भरत सिंह गणपत सिंह के वास्तविक वारिसान होने के कारण गणपत सिंह के हिस्से के बराबर–बराबर हक अधिकारी पाये जाते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से वादीगण को सही रूप से खातेदारी प्रदान की है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner